



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229136
CG-DL-E-19082021-229136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3142]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943

No. 3142]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SRAVANA 27, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3395(अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 06 अप्रैल, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1454(अ) तारीख 1, अप्रैल, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, हिन्दुस्तान व हिन्दुस्तान टाइम्स, तारीख 14 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है तथा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला— गाजियाबाद

क्र० सं०	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मोदीनगर	किल्होड़ा	निजी	कृषि	956	0.0067	साहबनूर पुत्र बुन्दू, साहबुद्दीन पुत्र बुन्दू।
			निजी	कृषि	827	0.0225	सिराजुद्दीन, रियाजुद्दीन, महाराजुद्दीन, इस्लामुद्दीन पुत्रगण नूर मौ०।
			निजी	कृषि	643	0.0185	रामवीरी पत्नी ओमप्रकाश।
			निजी	कृषि	645	0.0170	कृष्णपाल पुत्र हरवीर सिंह।
			निजी	कृषि	646	0.0058	सतेन्द्र कुमार पुत्र राजवीर।
			निजी	कृषि	647	0.0058	विरेंद्र कुमार पुत्र राजवीर सिंह।
			निजी	कृषि	649	0.0070	गौरव कुमार पुत्र कविन्दर।
2.	मोदीनगर	औरंगाबाद फजलगढ़	निजी	कृषि	35	0.0040	सुन्दरपाल पुत्र ब्रह्म सिंह, विजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रगण सूरतराम, कपिल, सिन्धु पुत्रगण गजेन्द्र सिंह, अरूण कुमार, प्रवीण कुमार पुत्रगण राजेन्द्र सिंह, कृष्णा देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह, सुमित, पंकज सिंह, रोविन सिंह पुत्रगण सुन्दरपाल।
3.	मोदीनगर	पलौता	निजी	कृषि	408	0.0045	मंगूराम पुत्र रामफल।
4.	मोदीनगर	भाकूरपुर	निजी	कृषि	152	0.0130	जगत सिंह पुत्र चतर सिंह।
			निजी	कृषि	172/2	0.0018	नीरज, उमेश पुत्रगण सुखपाल।
			निजी	कृषि	90	0.0105	प्रमोद कुमार पुत्र जयपाल।
			निजी	कृषि	173	0.0058	राजपाल सिंह पुत्र टीकाराम।
			निजी	कृषि	174	0.0038	कालूराम पुत्र जयवीर, मनीष ना०बा० आयु 17 वर्ष सं० गीता माता स्वयं पुत्र जयवीर, कु० रेखा, कु० बीना पुत्रियाँ जयवीर, गीता पत्नी जयवीर।
			निजी	कृषि	178	0.0019	गजेन्द्र सिंह पुत्र ताराचन्द।
5.	मोदीनगर	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	निजी	कृषि	774	0.0165	धर्मेन्द्र पुत्र धर्मपाल, अशोक कुमार, पवन कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण महेन्द्र।
			निजी	कृषि	386	0.0305	दयाराम पुत्र रूपराम, इन्द्रजीत पुत्र सरदार, दीपक कुमार, कुलदीप पुत्रगण रविन्द्र, जसवीरी पत्नी स्व० रविन्द्र, सुमित ना०बा० 17 वर्ष पुत्र सतेन्द्र (सं-माता), संगीता पत्नी स्व० सतेन्द्र, ओमपाल पुत्र भोपाल, उदयवीर पुत्र बुद्धप्रकाश, हंसाराम, मशाराम, हरेन्द्र पुत्रगण जयपाल, राजवती पत्नी कालूराम, वीरवती पत्नी जयपाल, सुखवीर सिंह पुत्र सरदार, कु० हिमानी ना०बा० 15 वर्ष पुत्री सतेन्द्र (सं- संगीता माता)।
			निजी	कृषि	400	0.0045	तुलसीराम पुत्र सरूपा।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2180]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टेटे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3395(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1454 (E), dated the 1st April, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan and Hindustan Times, dated the 14th April, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the competent authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh.

District: Ghaziabad

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Type of Land	Nature of Land	Khasra No.	Area in Hectares	Name of The Land owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modinagar	Kilhora	Private	Agriculture	956	0.0067	Sahabnoor S/o Bundu, Sahabuddeen S/o Bundu.
			Private	Agriculture	827	0.0225	Sirajuddeen, Riyajuddeen, Mahrajuddeen, Islamuddeen S/o Noor Mohd.
			Private	Agriculture	643	0.0185	Ramviri W/o Omparkash.
			Private	Agriculture	645	0.0170	Krishnapal S/o Harveer Singh.
			Private	Agriculture	646	0.0058	Satendra Kumar S/o Rajveer.
			Private	Agriculture	647	0.0058	Virendra Kumar S/o Rajveer Singh.
			Private	Agriculture	649	0.0070	Gaurav Kumar S/o Kavindar.
2.	Modinagar	Aurangabad Fazalgarh	Private	Agriculture	35	0.0040	Sundarpal S/o Brahm Singh, Vijendar Singh, Narendar Singh S/o Suratram, Kapil, Sindhu S/o Gajendra Singh, Arun Kumar, Parveen Kumar S/o Rajendra Singh, Krishna Devi W/o Rajendra Singh, Sumit, Pankaj Singh, Rovin Singh S/o Sundarpal.
3.	Modinagar	Palota	Private	Agriculture	408	0.0045	Mangooram S/o Ramfal.
4.	Modinagar	Shakoorpur	Private	Agriculture	152	0.0130	Jagat Singh S/o Chatar Singh.
			Private	Agriculture	172/2	0.0018	Neeraj, Umesh S/o Sukhpal.
			Private	Agriculture	90	0.0105	Parmod Kumar S/o Jaipal.
			Private	Agriculture	173	0.0058	Rajpal Singh S/o Teekaram.
			Private	Agriculture	174	0.0038	Kaluram S/o Jayveer, Maneesh Minor Age seventeen Years C/o Geeta (Mother) Self S/o Jayveer, Km. Rekha, Km. Beena D/o Jayveer, Geeta

							W/o Jayveer.
			Private	Agriculture	178	0.0019	Gajendra Singh S/o Tarachand.
5.	Modinagar	Saidpur Husainpur Deelna	Private	Agriculture	774	0.0165	Dharmendra S/o Dharmpal, Ashok Kumar, Pawan Kumar, Manoj Kumar S/o Mahendra.
			Private	Agriculture	386	0.0305	Dayaram S/o Roopram, Indrajeet S/o Sardare, Deepak Kumar, Kuldeep S/o Ravindra, Jasviri W/o Late Ravindra, Sumit Minor seventeen Years S/o Satendra (C/o Mother) Sangeeta W/o Late Satendra, Ompal S/o Bhopal, Udayveer S/o Budhprakash, Hansaram, Mansharam, Harendra S/o Jaypal, Rajwati W/o Kaluram, Veervati W/o Jaypal, Sukhveer Singh S/o Sardar, Km. Himani Minor fifteen Years D/o Satendra (C/o) Sangeeta Mother).
			Private	Agriculture	400	0.0045	Tulsiram S/o Saroop.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/ 2180]
A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)